



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पता- नई कंपोजिट बिल्डिंग
कलेक्टर परिसर बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष - 07752-250081
फैक्स - 07752-250081
ई-मेल - egtownplan_bilaspur@gmail.com

Add.-New Composit Building
Collector Parisar Bilaspur (C.G.)
Tel-- 07752-250081
Fax - 07752-250081
E-Mail- egtownplan.bilaspur@gmail.com

क्रमांक / 7335 / प्र.क्र. 1210 / न.ग्रा.नि / 2019
प्रति,

बिलासपुर दिनांक

16/8/19

मेसर्स गीतांजली कंस्ट्रक्शन द्वारा
भागीदार एस.आर. साहू,
पिता एम.आर. साहू,
निवासी गीतांजली हाऊस, नेहरू नगर,
तहसील व जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- विकास अनुज्ञा बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 09.04.2019 एवं पत्र क्र. 1379, दिनांक 03.08.2019.

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम खमतराई, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 927/2, 976/17, 976/8, 984/2, 984/7, रकबा 4.17 एकड़ भूमि है। जो भूमि बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में आवासीय उपयोग निर्दिष्ट है पर आवासीय क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास को क्रियान्वित करने की अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा 3 एवं छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अधीन विकास अनुज्ञा दी जाती है :-

1. छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत भू-व्यपवर्तन कराना आवश्यक होगा।
2. यह अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्य पाए जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
3. प्रश्नाधीन क्षेत्र को स्वीकृत कॉलोनी के मार्गों से 30'-0" एवं 40'-0" अप्रोच उपलब्ध है। मार्ग संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दी गई अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास, जल प्रदाय, जल-मल निकास, विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना होगा।
5. सर्वप्रथम भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा, तत्पश्चात् स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
6. छ0ग0भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में 1 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा।
7. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 (संशोधन 2000) के नियम 78 के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
8. मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
9. इस अनुमति का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्धशासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
10. भूमि स्वामी द्वारा शासकीय भूमि जैसे धरसा, सड़क, सार्वजनिक स्थल, खुला क्षेत्र, पार्क, एवं अन्य निजी भूमि पर अतिक्रमण न किया जावे, एवं अन्य उपयोग में नहीं लिया जावे। ऐसी स्थिति में विकास अनुज्ञा स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
11. इसे किसी भी दशा में भू-स्वामित्व अभिलेख न माना जावे।
12. भवन निर्माण की अनुमति इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
13. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास, निर्माण न किया जावे।

